Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 129-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 19, 2022 (ASADHA 28, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2022

संख्या 6/2/2022–1मंत्रिमंडल.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आंबटन) संशोधन नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सरकार कार्य (आंबटन) नियम, 1974 में, अनुसूची में "योजना विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, योजना विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, विद्यमान क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"1. अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य–

(i) अर्थ/सांख्यिकीय मामलों पर सरकार को परामर्श देना ।

(ii) राज्य के विभिन्न विभागों/संगठनों की सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करना।

(iii) सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों का संग्रहन, संकलन तथा विश्लेषण तथा विभिन्न रिपोर्टों/प्रकाशनों के माध्यम से इनका प्रसार करना ।

(iv) जनगणना/नमूना सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना ।

(v) योजना तथा नीति निर्धारण हेतु दृढ़ तथा विस्तृत डेटाबेस तैयार करना ।

(vi) सामाजिक–आर्थिक विषयों पर सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठीयों इत्यादि का आयोजन करना ।

2. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा राज्य की कल्याणकारी तथा विकासात्मक स्कीमों का स्कीमवार आबंटन तैयार करना ।

3. निगरानी तथा मूल्यांकन–

(i) राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की निगरानी तथा मूल्याकंन से सम्बन्धित सभी कार्य करना ।

(ii) गरीबी उन्मूलन के लिए उपलब्ध करवाए गए लाभों के पैकेज की निगरानी हेतु विभिन्न विभागों/संगठनों के साथ कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई समन्वय करना ।

(iii) 20–सूत्रीय कार्यक्रम ।

4. राज्य में चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय अधिनियम, 40) तथा हरियाणा चिट फण्ड नियम, 2018 का क्रियान्वयन ।

5. सामान्य प्रशासन विभाग को आंबटित मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थापना से सम्बन्धित मामले ।

6. स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबन्धन संस्थान से सम्बन्धित सभी मामले तथा सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) समन्वय केन्द्र से सम्बन्धित कार्य ।

7. राज्य योजना बोर्ड।

8. व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण । ''।

चण्डीगढ़:
दिनांक 15 जुलाई, 2022.

बडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 18 जुलाई, 2022.

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Notification

The 19th July, 2022

No. 6/2/2022,-1Cabinet.— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Bandaru Dattatreya, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules,1974, namely:-

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Amendment Rules, 2022.

2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, in the Schedule under the heading “PLANNING DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Planning Department)”, for existing serial numbers and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1 Economic and Statistical Affairs-

(i) Advice to Government on Economic/Statistical matters.

(ii) Coordination of Statistical activities of various Departments/Organisations of the State.

(iii) Collection, Compilation and analysis of socio-economic data and its dissemination through various Reports/Publications.

(iv) Census/sample survey and studies.

(v) Build up a firm and broad data base for planning and policy making.

(vi) Organising conferences/workshops/seminars etc. on socio-economic subjects.

2 Preparation of schematic allocation of Centrally Sponsored Schemes and State Welfare and Development Schemes.

3. Monitoring and Evaluation-

(i) All works relating to monitoring and evaluation of various Programme/Schemes undertaken by the State Government/Government of India.

(ii) Programme Management Unit-Coordination with various Departments/Organisations for monitoring the package of benefits provided for poverty elimination.

(iii) 20-Point Programme.

4. Implementation of “The Chit Fund Act, 1982” (Central Act 40 of 1982) and “Haryana Chit Fund Rules, 2018” in the State.

5. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allotted to the General Administration Department.

6. All matters relating to the Swarna Jayanti Haryana Institute for Fiscal Management and works relating to the Sustainable Development Goals (SDGs) Coordination Center.

7. State Planning Board.

8. Comprehensive field survey.”

Chandigarh:
The 15th July, 2022.

BANDARU DATTATREYA,
Governor of Haryana,

Chandigarh:
The 18th July, 2022.

SANJEEV KAUSHAL,
Chief Secretary to Government Haryana,

9749—C.S.—H.G.P., Pkl.